सीमा उपाध्याय

बनाम

सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य के माध्यम से भारत संघ

(रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 675 वर्ष 2013)

अप्रैल 05, 2018

[दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर और डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली - डीलरशिप - मिट्टी का तेल - रिट याचिका में आरोप यह था कि दूसरे प्रतिवादी के पास पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए कई डीलरशिप हैं, और वे उसके करीबी या उससे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर हैं - तथ्यान्वेषी जांच आयोजित की गई - हालाँकि जांच से आरोपों पर कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकला - माना गया: यह मुद्दा कि क्या दूसरे प्रतिवादी के पास लागू नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कई डीलरशिप या आउटलेट हैं, का निर्धारण तेल कंपनी या मुद्दे से संबंधित कंपनियों द्वारा किया जाना है - किसी भी तेल कंपनी को इन कार्यवाहियों में शामिल नहीं किया गया - उनकी अनुपस्थिति में, न्यायालय के लिए कोई भी तथ्यात्मक निर्धारण करना संभव नहीं होगा - चाहे कोई व्यक्ति डीलरशिप या आउटलेट बेनामी रखता हो, तथ्यात्मक सामग्री की सराहना करेगा, जिसकी अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पूछताछ नहीं की जा सकती है - नतीजतन, याचिकाकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह अपने पास मौजूद सामग्री को आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित तेल कंपनियों के ध्यान में ला सके - संबंध के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट का आरोप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने हलफनामे में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विनिर्माण कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता को खुदरा दुकानों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता और मात्रा पर नियमित जांच करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया - हलफनामे में कहा गया कि मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश 2005 और केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं और मंत्रालय का इरादा पायलट आधार पर विभिन्न राज्यों के चिन्हित जिलों में केरोसिन में प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना को लागू करने का है - ये मूलतः नीति के मामले हैं - केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है - इसके अलावा, इस बचाव को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि जनहित के मुद्दे को उठाने के वास्तविक प्रयास के अलावा अन्य कारणों से याचिका दायर की गई है - याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है - केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य का निर्धारण) संशोधन आदेश, 2007 - आवश्यक वस्तुएं - मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 - केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य का निर्धारण)) आदेश, 1993.

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 675 वर्ष 2013

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

डॉ. राजीव शर्मा, चन्द्रशेखर, धर्मेन्द्र शर्मा, विपीन कुमार शर्मा, रघुवीर शर्मा, हाजी सलीमुद्दीन, राम अनुग्रह सिंह याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, एस. वसीम ए. कादरी, श्रीमती बीनू टम्टा, सुश्री श्रृद्धा मेहरा, राज बहादुर यादव, आर. डी. चौहान, अरुण के. चौहान, फरासत अली सिद्दीकी, अरविंद कुमार, राम स्वरूप शर्मा, कौशल यादव, डॉ. कैलाश चंद उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, द्वारा सुनाया गया।

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत चाहता है:

"ए)... परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश, जो उत्तरदाताओं को ऊपर उल्लिखित माफियाओं द्वारा संचालित मिलावट के ज्ञात और रिपोर्ट किए गए मामलों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी, अधिमानतः सीबीआई के माध्यम से कराने का आदेश देता है;

बी) ... उत्तरदाताओं को उनके आधार कार्ड के आधार पर या सार्वजनिक वितरण प्रणाली या किसी अन्य पूर्ण प्रमाण तंत्र के माध्यम से केरोसिन तेल के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरित करने का आदेश देने वाला उचित परमादेश रिट; "

2. 23 अगस्त 2013 को जब याचिका प्रारंभिक सुनवाई के लिए आई, तो निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

"पैरा 5 से आगे रिट याचिका में देवेंद्र अग्रवाल और उनके एक रिश्तेदार धर्मेंद्र अग्रवाल के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने उक्त दोनों पक्षों को याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल करने का विकल्प नहीं चुना है। याचिकाकर्ता के मौखिक अनुरोध पर, हम याचिकाकर्ता को उक्त दो व्यक्तियों को क्रमशः पार्टी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के रूप में शामिल करने की अनुमति देते हैं"।

संशोधित रिट याचिका एक सप्ताह के भीतर दाखिल की जाएगी।

संशोधित याचिका दायर होने के बाद ही नोटिस जारी किया जाएगा। उपरोक्त आदेश से पता चलता है कि याचिका के तथ्यात्मक आधार का एक बड़ा हिस्सा देवेन्द्र अग्रवाल और उनके रिश्तेदार धर्मेन्द्र अग्रवाल से संबंधित है।

यह रिट याचिका के पैराग्राफ 9 से स्पष्ट है, जिसे नीचे दिया गया है:

"9. श्री अग्रवाल के नाम पर डीजल के एक दर्जन छोटे-मोटे डीलर और लगभग एक दर्जन एस.पी. कंपनी के पेट्रोल पंप हैं, जो उनके या निकट संबंधियों के नाम पर हैं, जबकि ऐसे एक पेट्रोल पंप की कीमत लगभग 1 से 1.50 करोड़ रुपये है।

मुख्य छोटे डीजल डीलरों के नाम हैं:

1) मुकेश ऑटोमोबाइल्स, हाथरस जलेसर मार्ग, गंगोली हाथरस, मुकेश कुमार पुत्र महेंद्र पाल अग्रवाल के फर्जी नाम पर। इसके बाद इसे नगला सलेम (सादाबाद बेहदोई मार्ग) में स्थानांतरित कर दिया गया, सभी औपचारिकताएं देवेंद्र अग्रवाल उर्फ मुकेश कुमार द्वारा पूरी की

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गईं, जबकि उपनाम के नाम पर कोई आवंटन नहीं किया जा सकता है और यह पेट्रोलियम मंत्रालय के दिशानिर्देश के विपरीत है।

2) जलेसर मार्ग, हाथरस जंक्शन पर पूरन सिंह पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह के नाम पर प्राप्त पेटी डीजल डीलर लाइसेंस।

3) हाथरस-जलेसर मार्ग, गांव भोपतपुर पर पेटी डीजल डीलर का लाइसेंस, देवेन्द्र अग्रवाल के भाई राकेश अग्रवाल के नाम पर।

4) मनोहर लाल के नाम पर कछपुरा (बिसाना) के पास, हाथरस-सादाबाद मार्ग पर पेटी डीजल डीलर।

5) हाथरस-अलीगढ़ मार्ग पर हनुमान चौकी, ग्राम बसई काजी के पास पेटी डीजल डीलर का लाइसेंस, देवेन्द्र अग्रवाल के नौकर संतोष कुमार पुत्र नेत्रपाल के नाम से फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया।

6) सुरेश चंद्र और पार्टनर श्री दीपक कुमार के नाम पर हाथरस के क़स्बा मिंडू में पेटी डीजल डीलर लाइसेंस। दीपक कुमार, देवेन्द्र अग्रवाल की पत्नी के भाई हैं।

7) पेटी डीजल डीलर लाइसेंस, हाथरस-जलेसर मार्ग, नगला इस्लामिया, प्रवीण कुमार पुत्र गोपाल दास अग्रवाल के नाम पर। प्रवीण कुमार, देवेन्द्र अग्रवाल की पत्नी के भाई हैं।

मुख्य कंपनी पेट्रोल पंप

I) प्रेम प्रकाश शर्मा के नाम पर ग्राम उतरा ब्लॉक सासनी, जिला महामायानगर।

II) देवेंदे ऑटोमोबाइल, लाडपुर ब्लॉक, हाथरस, दीपक अग्रवाल के नाम पर। टिन नंबर 0962701283सी। दीपक कुमार, देवेन्द्र अग्रवाल की पत्नी के भाई हैं। उनके पास क़स्बा मैंदु में पेटी डीजल लाइसेंस भी है।

II) ग्राम केशोपुर-महो ब्लॉक हाथरस, देवेन्द्र अग्रवाल के नौकर संतोष कुमार के नाम पर। उनके पास हनुमान चौकी के पास ग्राम बसई में पेटी डीजल डीलर का लाइसेंस भी है।

IV) राहुल ऑटोमोबाइल्स, बरवाना-हाथरस जंक्शन से जलेसर रोड श्रवण कुमार अग्रवाल टिन नंबर 09127502025C के नाम पर। श्रवण कुमार देवेन्द्र अग्रवाल की पत्नी के भाई हैं।

वी) श्रवण कुमार ऑटोमोबाइल, देवेन्द्र अग्रवाल के नाम पर, ओ मरोरा (कजरौठ) ब्लॉक इगलास, जिला अलीगढ टिन नंबर 09127400903। यह टिन नंबर जय मां दुर्गा ऑटोमोबाइल के नाम पर है। हथियास देवेन्द्र अग्रवाल के नाम पर पंजीकृत है।

VI) मयंक ऑटोमोबाइल्स सोनई (अलीगढ़) का स्वामित्व श्रीमती रेनू अग्रवाल, देवेन्द्र अग्रवाल के भाई राकेश अग्रवाल की पत्नी के पास है।

VII) प्रदीप ऑटोमोबाइल्स, खतौली-कटैलिया (सासनी), रामजी लाल अग्रवाल और प्रदीप कुमार टिन नंबर 09327401402 के नाम पर।

VII) क़स्बा विजयगढ़, ब्लॉक अकराबाद, अलीगढ़, जय किशोर अग्रवाल के नाम पर, देवेन्द्र अग्रवाल के रिश्तेदार।

IX) चंदन ऑटोमोबाइल, कुकटई, सादाबाद-आगरा मार्ग, मंडी समिति के पास, देवेन्द्र अग्रवाल के नाम पर।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दीपक अग्रवाल के नाम पर दो पेटी डीजल डीलर लाइसेंस हैं - एक मैंडू हाथरस में और दूसरा लाडपुर-हाथरस में देवेंदर ऑटोमोबाइल्स के नाम पर, जबकि एक ही व्यक्ति के नाम पर ऐसे दो लाइसेंस नियमों के विपरीत हैं।' आरोप यह है कि देवेन्द्र अग्रवाल के पास पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए कई डीलरशिप हैं, और वे उनसे करीबी संबंध रखने वाले या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने उपरोक्त व्यक्ति को, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, पक्षकार बनाने की अनुमति देना आवश्यक समझा। 11 मार्च 2015 को सॉलिसिटर जनरल से कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया गया था।

3. 26 अगस्त 2016 को इस न्यायालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। इस न्यायालय के आदेश में रिट याचिका के पैराग्राफ 9 में निहित आरोपों का भी संदर्भ दिया गया था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 में निहित कथनों की तथ्यान्वेषी जांच भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी से कराने का निर्देश दिया, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए कथनों की तथ्यान्वेषी जांच का निर्देश देने के इच्छुक हैं।" . इस प्रकार नियुक्त जांच अधिकारी, पैरा "9" में लगाए गए आरोपों पर गौर करेगा और प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि सलाह दी जाए तो याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी को विवरण और सहायक सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। जांच अधिकारी संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से, जिन्होंने संबंधित डीलरों को लाइसेंस जारी किए हैं, आवश्यकतानुसार सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

जांच अधिकारी को राज्य सरकार के जिला प्रशासन द्वारा भी हर तरह से सहायता दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि जांच अधिकारी जांच करने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 2-देवेंद्र अग्रवाल उर्फ मुकेश कुमार/अग्रवाल को नोटिस जारी करेगा और निष्कर्ष निकालते समय उनके द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों पर विचार करेगा।''

4. दूसरा पहलू जो इस न्यायालय के 26 अगस्त 2016 के आदेश में निपटाया गया है वह है पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट। केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत का निर्धारण) संशोधन आदेश 2007 के पैराग्राफ 8ए के तहत भारत में बेचे जाने वाले सभी केरोसिन को पांच भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) सांद्रता पर एक मार्कर के साथ मिश्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके दुरुपयोग या अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के लिए उपयोग को रोका जा सके। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या पेट्रोल और डीजल वेंडिंग मशीनें उपरोक्त मार्कर के प्रति संवेदनशील हैं और यदि केरोसिन के उपयोग से मिलावट की जाती है तो वे उत्पाद देने से इनकार कर देंगे। इस पहलू पर 26 अगस्त 2016 का आदेश नीचे दिया गया है:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"श्री कुमार ने हमारा ध्यान केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 2007 की ओर भी आकर्षित किया है। उनका कहना है कि उक्त आदेश के नियम 8ए के अनुसार भारत में बेचा जाने वाला सभी केरोसीन चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो या समानांतर विपणन प्रणाली के तहत। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट या मिलावट के लिए इसके उपयोग को रोकने की दृष्टि से इसे पांच भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) सांद्रता पर एक मार्कर के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार केरोसिन अब सार्वजनिक वितरण प्रणालियों और समानांतर विपणन प्रणालियों के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसे उक्त नियम के तहत आवश्यक रूप से मार्कर के साथ मिश्रित किया गया है। हालाँकि, वह यह कहने में असमर्थ है कि क्या पेट्रोल और डीजल वेंडिंग स्टेशनों में स्थापित पेट्रोल और डीजल वेंडिंग/डिस्पेंसिंग मशीनें उक्त मार्कर के प्रति संवेदनशील हैं और क्या मशीनें केरोसिन के उपयोग से मिलावटी होने पर उत्पाद देने से इनकार करती हैं। उनका कहना है कि दिए गए समय में वह स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारी का अतिरिक्त हलफनामा दायर करेंगे। वह ऐसा कर सकता है। हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या आज प्रौद्योगिकी किसी ऐसी मशीन के उपयोग की अनुमति देती है जो उत्पाद में मिलावट का पता लगा सकती है और मिलावट होने की स्थिति में उसे वितरित करने से इनकार कर सकती है। हलफनामे में यह भी दर्शाया जा सकता है कि क्या ऊपर उल्लिखित आदेश के खंड 2 के उप-खंड 5 (ii) (का) में संदर्भित "परीक्षण किट" वितरण मशीन का एक हिस्सा है या उससे स्वतंत्र है।

5. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा एक जांच की गई है। रिपोर्ट की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है। जांच के परिणामस्वरूप याचिका के पैराग्राफ 9 में लगाए गए आरोपों पर कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकला है।

6. मूल रूप से, यह मुद्दा कि क्या दूसरा प्रतिवादी लागू नियमों और विनियमों के उल्लंघन में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कई डीलरशिप या आउटलेट का मालिक है, का निर्धारण तेल कंपनी या मुद्दे से संबंधित कंपनियों द्वारा किया जाना है। किसी भी तेल कंपनी को इन कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय के लिए कोई तथ्यात्मक निर्धारण करना संभव नहीं होगा। क्या कोई व्यक्ति डीलरशिप या आउटलेट बेनामी रखता है, इससे तथ्यात्मक सामग्री की सराहना हो जाएगी, जिसकी अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभ्यास में पूछताछ नहीं की जा सकती है। नतीजतन, हम जो देखते हैं वह यह है कि याचिकाकर्ता के पास उसके पास मौजूद सामग्री को संबंधित तेल कंपनियों के ध्यान में ऐसी कार्रवाई के लिए लाने के लिए खुला होगा जो आवश्यक समझी जाती है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने ऐसे किसी दावे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिसे सभी आवश्यक पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

7. मामले के दूसरे पहलू पर जो इस न्यायालय के 26 अगस्त 2016 के आदेश में विज्ञापित किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 6 अक्टूबर 2016 को इस न्यायालय के

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

समक्ष दायर हलफनामे की सामग्री को निर्धारित करना आवश्यक होगा। जहाँ तक सामग्री है, हलफनामे में निम्नलिखित कथन शामिल हैं:

"ए. मार्कर के साथ पीडीएस केरोसिन की डोपिंग के मुद्दे के संबंध में यह सूचित किया जा सकता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पत्र संख्या पी-11013/5/2006-जिला दिनांक 15.01.2007 के माध्यम से तेल विनिर्माण कंपनियों (ओएमसी) को संशोधन के संबंध में सलाह दी थी। एमएस और एचएसडी नियंत्रण आदेश 2005 और केरोसिन नियंत्रण आदेश 1993 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिनियमित और प्रकाशित किया गया। जिसमें भारत में बेचे जाने वाले सभी केरोसीन को, चाहे वह पीडीएस के तहत हो या समानांतर विपणन प्रणाली के तहत, एमएस/एचएसडी के विचलन या मिलावट को रोकने के उद्देश्य से पांच भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) सांद्रता पर मार्कर के साथ मिश्रित किया जाना था। तदनुसार, पूरे देश में मार्कर के साथ केरोसिन की मिलावट शुरू की गई।

बी. इसके बाद, सितंबर, 2008 के महीने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), उत्तरी क्षेत्र के सतर्कता विभाग के ध्यान में यह आया कि एक मुखबिर द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए भूरे रंग के रासायनिक पाउडर का उपयोग मार्कर सिस्टम की दक्षता को कम करने के लिए किया जा सकता है। लैब परीक्षण स्थितियों के निष्कर्षों में भी इसकी पुष्टि की गई। चूंकि मार्कर सिस्टम को धोने योग्य पाया गया, इसलिए मौजूदा मार्कर सिस्टम को 01.01.2009 से बंद करने का निर्णय लिया गया।

सी. 01.01.2009 से पीडीएस केरोसिन में मार्कर की डोपिंग बंद होने पर, मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश और केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) में आवश्यक संशोधन आदेश दिये गये।

डी. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने भारत में सभी प्रमुख डिस्पेंसिंग यूनिट निर्माताओं के साथ बातचीत की है और प्राप्त फीडबैक के अनुसार, वर्तमान डिस्पेंसिंग यूनिट निर्माताओं के पास ईंधन के वितरण के दौरान मिलावट का पता लगाने के लिए रेडीमेड तकनीक नहीं है। यह भी बताया गया है कि मार्कर का पता लगाने के लिए 'परीक्षण किट' वितरण इकाई का हिस्सा नहीं थी। ओएमसी ने स्पष्ट किया है कि 'टेस्ट किट' अनिवार्य रूप से एक रासायनिक परीक्षण है जो मार्कर डोप्ड केरोसिन की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है (यानी, नमूना परीक्षण सकारात्मक परिणाम का संकेत देता है जब इसका रंग गुलाबी हो जाता है)। हलफनामे में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विनिर्माण कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता को खुदरा दुकानों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता और मात्रा की नियमित जांच करने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है। ये इस प्रकार हैं:

"ए) एक निरंतर अभियान के रूप में पीएसयू ओएमसी खुदरा दुकानों का नियमित और औचक निरीक्षण करते हैं और मिलावट, कम डिलीवरी आदि जैसी अनियमितताओं/कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले आउटलेट्स के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) और

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

डीलरशिप समझौते के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, एमडीजी वितरण इकाइयों में मिलावट, सीटों से छेड़छाड़ और अनधिकृत फिटिंग/गियर जैसे गंभीर कदाचार के लिए पहली बार में ही आउटलेट को समाप्त करने और अन्य कदाचार/अनियमितताओं के लिए श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान करता है।

बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005 में मिलावट जैसे कदाचार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में कदाचार को रोकने के लिए अनुबंध संबंधी दस्तावेजों और प्रशासनिक दिशानिर्देशों में भी प्रावधान उपलब्ध हैं।

सी) प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी में एक गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत है जो मिलावट सहित विभिन्न अनियमितताओं की जांच के लिए रोस में औचक निरीक्षण करता है। यह सराहना की जा सकती है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून 2016 तक) के दौरान, ओएमसी ने देश भर में अपने रोस में 5,61,796 निरीक्षण किए हैं।

डी) दंडात्मक कार्रवाई को और अधिक सख्त बनाकर उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देश (टीडीजी) को 2014 में संशोधित और मजबूत किया गया है। स्थापित चोरी के पहले उदाहरण पर, टैंक ट्रक को काली सूची में डाल दिया जाता है और दूसरे उदाहरण पर परिवहन अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है और उस अनुबंध के तहत सभी टीटी को ई-पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से पूरे उद्योग में दो साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाता है। वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का समान प्रावधान है।

ई) इसके अलावा, ओएमसी ने रिटेल आउटलेट्स में अनियमितताओं को रोकने और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों की आवाजाही की निगरानी के लिए अन्य पहलों का सहारा लिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 01.09.2016 तक, पूरे भारत में 52653 रिटेल आउटलेट हैं, जिनमें से 18586 रिटेल आउटलेट स्वचालित हैं और 13211 रिटेल आउटलेट पहले से ही "नो ऑटोमेशन नो ऑपरेशन" (NANO) के मानक के साथ संकलित हैं।). मानक नैनो के अनुरूप खुदरा दुकानों का लाभ यह है कि यदि वितरण इकाई या भंडारण टैंक में हेरफेर के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो वितरण इकाई स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाती है। इससे ओएमसीज़ को रिटेल आउटलेट पर गतिविधियों पर नज़र रखना सुनिश्चित होगा। इस पहल के तहत, टैंक स्टॉक और प्रत्येक वितरण इकाई की बिक्री को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा यह कहा गया है कि मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश 2005 और केरोसीन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत का निर्धारण) आदेश 1993 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि मंत्रालय पायलट आधार पर विभिन्न राज्यों के चिन्हित जिलों में केरोसिन में प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना को लागू करने का इरादा रखता है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8. ये मूलतः नीति के मामले हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस मुद्दे पर गंभीर है। समय-समय पर कदम उठाए गए हैं, जैसा कि इस न्यायालय में दायर हलफनामे में विस्तार से बताया गया है।

9. जबकि हमने याचिकाकर्ता की दो शिकायतों से निपटा है, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि इन कार्यवाही में दूसरे प्रतिवादी द्वारा जो जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। यह कहा गया है कि याचिका सार्वजनिक हित में क्षेत्राधिकार का वास्तविक सहारा नहीं है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी और दूसरे प्रतिवादी ने 2007 और 2012 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा था और दूसरे प्रतिवादी को निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि आरोप वर्तमान मामले में रिट याचिका में निहित आरोपों के समान थे। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 6 अप्रैल 2011 को खारिज कर दी गई थी। जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों के आधार पर, यह बचाव कि याचिका सार्वजनिक हित के मुद्दे को उठाने के वास्तविक प्रयास के अलावा अन्य कारणों से शुरू की गई है, को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा भी हो, इस निर्णय के पहले भाग में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर हम इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को आगे लंबित रखने के इच्छुक नहीं हैं।

10. तदनुसार, याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल याचिका निस्तारित।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"